

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 675

राँची, दिनांक :- 25.7.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर ।

विषय :- प्रमंडल बरवाडीह के पंचायत चुँगरु के ग्राम कोरवामरई से हड़ही नाला पर पुलिया निर्माण हेतु कुल 0.0244 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 791 दिनांक 07.07.2022

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ करें। विषयगत परियोजना बरवाडीह प्रखण्ड के पंचायत चुँगरु के ग्राम कोरवामरई से हड़ही नाला पर पुलिया निर्माण हेतु Forest Clearance हेतु समर्पित प्रस्ताव सं0 FP/JH/ROAD/45212/2020 का पांच प्रतियां Hard Copy एवं Online इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव की समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां पाई गई है :-

1. चूँकि category of the project 'Road' है अतः FRA प्रमाण पत्र Form I (for linear project) में होना चाहिए परन्तु प्रमाण पत्र Form II में समर्पित किया गया है।
2. उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उतरी प्रमंडल, मेदिनीनगर ने अपने पार्ट-II के कंडिका 8 की उप कंडिका ii एवं iii में सूचित किया है कि प्रस्तावित वनभूमि टाईगर रिजर्व एवं ESZ में अवस्थित है। अतः भारत सरकार, द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में SBWL/NBWL की अनुमति की आवश्यकता होगी।
3. प्रस्ताव के साथ CA से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं हैं। यदि प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन हेतु CA की आवश्यकता है तो प्राक्कलन, KML file, उपयुक्ता प्रमाण-पत्र इत्यादि आवश्यकता है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण एवं उप निदेशक, पी0टी0आर0, उतरी प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा क्रमशः निर्धारित प्रपत्र Form-A Part- I एवं Part-II में इस कार्यालय के पत्रांक 746 दिनांक 28.06.2021 एवं पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नाम, पदनाम एवं प्रतिहस्ताक्षर करते हुए Additional Information में pdf file बना कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
5. Additional Information-3 (Form-A hard copy) के रूप में अपलोड की गई pdf file खुल नहीं रही है इसे फिर से अपलोड करने की आवश्यकता है।
6. Part-II में CA के लिए KML file अपलोड की गई है, वह KML file वही है जिसे Part-I में प्रस्तावित वनभूमि के लिए भी अपलोड किया गया है। इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
7. Part-II में क्रम सं0 13 (ii) में CA योजना की विवरणी पर Authorization Letter upload किया गया है, जिसमें प्राक्कलन अपलोड किया जाना है। साथ ही क्रम सं0 13 iii एवं iv में जो प्रस्तावित भूमि के लिए PDF File upload की गयी है वह same है।


उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करना सम्भव नहीं है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित कमियों/त्रुटियों का बिन्दुवार एवं पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

भविष्य में पूर्ण समीक्षा करने के उपरांत ही प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रसारित किये जाएं।

विश्वासभाजन


25.07.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


25.7.22